

न्यायालय:-सदस्य द्वितीय मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण,गोहद जिला भिण्ड  
(समक्ष: पी0सी0आर्य)

क्लेम प्रकरण क्रमांक: 37 / 2015  
संस्थित दिनांक-18 / 08 / 2015  
फाइलिंग नं-230303010852015

भारतसिंह पुत्र निरन्जन सिंह आयु 20 साल  
जाति गुर्जर निवासी ग्राम पारसेन  
परगना व जिला ग्वालियर म0प्र0

.....आवेदक

विरुद्ध

1- मुन्नालाल पुत्र ग्यासीराम श्रीवास  
आयु 46 साल जाति नाई  
निवासी ग्राम सिहोनिया थाना सिहोनिया  
जिला मुरैना म0प्र0 . .....वाहन चालक

2- गिराज अग्रवाल पुत्र रामसेवक अग्रवाल  
जाति वैश्य निवासी ग्राम सिहोनिया  
जिला मुरैना म0प्र0 .....वाहन मालिक

3- मण्डल प्रबंधक-  
दि न्यू इण्डिया इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड,  
मण्डल कार्यालय सिटी सेंटर  
एल0आई0सी0 बिल्डिंग ग्वालियर म0प्र0

.....बीमा कंपनी

.....अनावेदकगण

आवेदक द्वारा श्री आर0पी0एस0गुर्जर अधिवक्ता ।  
अनावेदक क्रमांक-1 व 2 द्वारा श्री पी0के0 वर्मा अधिवक्ता  
अनावेदक क्रमांक-3 द्वारा श्री आर0के0 बाजपेयी अधिवक्ता ।

### **—::— अधि-निर्णय —::—**

(आज दिनांक 04 नवंबर 2016 को खुले न्यायालय में घोषित)

1. इस अधिनिर्णय द्वारा आवेदक भारत सिंह गुर्जर के मूल आवेदनपत्र अंतर्गत धारा-166 मोटरयान अधिनियम 1988 का निराकरण किया जा रहा है। जिसमें आवेदक ने दिनांक 03/03/14 को दुर्घटना में आई चोटों के आधार पर कुल 14,70,000/-रुपये की क्षतिपूर्ति राशि एवं उस ब्याज दिलाए जाने की प्रार्थना की गई है।

2. प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है, कि अनावेदक

क्रमांक-01 मुन्नालाल के विरुद्ध बताई गई सड़क दुर्घटना दिनांक 08/03/14 के संबंध में थाना मालनपुर में अपराध क्रं-59/14 धारा-279, 337, 338 भा0द0वि0 का अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था, जिसका अभियोगपत्र जे0एम0एफ0सी0 गोहद के न्यायालय में विचाराधीन है, यह भी स्वीकृत है, कि अनावेदक क्रं-02 दुर्घटनाकारी बताई गई गाड़ी मारुती स्विफ्ट कार क्रमांक एम0पी0-06-सी0ए0-4020 का पंजीकृत स्वामी है, जिसे उक्त वाहन जे0एम0एफ0सी0 न्यायालय से सुपुर्दगी पर प्राप्त हुआ है। यह भी स्वीकृत है, कि दुर्घटना दिनांक को उक्त वाहन अनावेदक क्रमांक-03 बीमा कंपनी के यहाँ वैध रूप से बीमित था।

3. आवेदक का आवेदन सार सांक्षेप में इस प्रकार है, कि दिनांक 08/03/14 को वह हरिसिंह गुर्जर की मोटरसाइकिल क्रं-एम0पी0-07-एम0जी0-6874 पर पीछे बैठकर ग्राम पारसेन से हरिसाम की कुईया मालनपुर की तरफ भिण्ड ग्वालियर रोड से जा रहा था, तब भिण्ड की तरफ से मारुती स्विफ्ट कार क्रमांक एम0पी0-06-सी0ए0-4020 के चालक ने वाहन को तेजी व लापरवाही से चालकर उसकी मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी थी, जिससे वह गर पडा था, जिससे उसे दाहिने पैर, दाहिनी कोहनी, बाये पैर और कमर में चोटें आई थीं, जिसे अनावेदक क्रं-01 ने चलाकर टक्कर मारी थी और उक्त कार का अनावेदक क्रं-02 स्वामी है। दुर्घटना की रिपोर्ट की गई थी, पुलिस ने मेडीकल कराया था, उसका सामुदायिक स्वस्थ केन्द्र गोहद में एवं जे0ए0एच0 हॉस्पिटल ग्वालियर में इलाज हुआ था और वह भर्ती भी रहा था, उसके उपचार में करीब 70,000/-रुपये खर्च हुए, तथा उसे विशेष आहार लेना पडा, दवाईयों आदि में भी राशि खर्च हुई थी, दुर्घटना के समय वह विद्या अध्ययन करता था, जिसमें वह अक्षम हो गया है और वह अपने माता-पिता के बुढ़ापे का सहारा था, तथा वह अपनी बहनों की शादी बगैराह में भी सहयोग करता, नौकरी करके माता-पिता का भरण पोषण करता, जिसमें वह अब असमर्थ हो गया है, इसलिए उसे अनावेदकगण से 14,70,000/-रुपये एवं उस पर दुर्घटना दिनांक से 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज व अन्य सहायता दिलाई जावे।

4. अनावेदक क्रं-01 व 02 की ओर से प्रस्तुत जवाब में दुर्घटना का खण्डन करते हुए, आवेदक द्वारा किए गए अभिवचनों के बारे में जानकारी का अभाव बताते हुए, मूलतः यह अभिवचन किए हैं, मारुती स्विफ्ट कार क्रमांक एम0पी0-06-सी0ए0-4020 से कोई दुर्घटना नहीं हुई है, न ही आवेदक को कोई चोटें आई, इसलिए इलाज होने और राशि खर्च होने या अक्षम होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है और उनका वाहन अनावेदक क्रं-03 बीमित है, आवेदक उनसे कोई भी क्षतिपूर्ति राशि पाने का पात्र नहीं है। अनावेदक क्रं-01 के विरुद्ध झूठी रिपोर्ट करके आपराधिक प्रकरण पुलिस से

मिलकर संचालित कराया गया है, जो अभी विचाराधीन है, जिसका निराकरण नहीं हुआ है, इसलिए आवेदक का आवेदनपत्र असत्य तथ्यों पर आधारित होने से सव्यय निरस्त किया जाये।

5. अनावेदक क्रं0-03 बीमा कंपनी की ओर से भी आवेदक के अभिवचनों का खण्डन कर मूलतः यह अभिवचन किया है, कि मारुती कार चालक की लापरवाही या उपेक्षा से आवेदक को कोई दुर्घटना नहीं हुई, न ही कोई चोट आई, न अस्थिभंगन हुआ, न कोई स्थाई विकलांगता कारित हुई है और मोटरसाइकिल के स्वामी को प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया है, वाहन चालक के द्वारा कोई ड्राइविंग लाइसेंस पेश नहीं किया है, आवेदक ने बनावटी राशि का अभिवचन किया है, तथा मारुती स्विफ्ट कार क्रमांक एम0पी0-06-सी0ए0-4020 के बीमित होने की अभी पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए आवेदक कोई क्षतिपूर्ति राशि पाने का पात्र नहीं है और मारुती कार चालक के पास ड्राइविंग लाइसेंस न होने से बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन है, तथा मोटरसाइकिल चालक पर भी वैध व प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस न होने से योगदायी उपेक्षा है और मोटरसाइकिल का चालक व पंजीकृत स्वामी प्रकरण के लिए आवश्यक पक्षकार है, जिसके अभाव में प्रकरण संचालन योग्य नहीं है, तथा दुर्घटना की बीमा कंपनी को कोई सूचना नहीं दी गई, ना कोई दस्तावेज उपलब्ध कराया गया, इसलिए भी बीमा कंपनी का कोई उत्तरदायित्व नहीं है और आवेदक तथा अनावेदक क्रं0-01 व 02 की आपस में दुर्भिसंधि है। उपरोक्त कारणों से आवेदक उससे कोई क्षतिपूर्ति पाने का पात्र नहीं है। इसलिए उसका आवेदन सव्यय निरस्त किया जाए।

6. उभय पक्ष के अभिवचनों के आधार पर प्रकरण में निम्नलिखित वादप्रश्नों की रचना की गई है जिन पर निकाले गये निष्कर्ष उनके समक्ष अंकित है।

#### वाद प्रश्न

#### निष्कर्ष

1	क्या, अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा अनावेदक क्रमांक 2 की मारुती स्विफ्ट कार नंबर एम0पी0-06-सी0ए0 4020 को दिनांक 08/03/14 को करीब 10 बजे भिण्ड-ग्वालियर लोकमार्ग पर हरीराम की कुईया के पास मालनपुर पर तेजी व लापरवाही से चलाकर आवेदक की मोटरसाइकिल एम0पी0-07-एम0जी0-6874 में टक्कर मारकर दुर्घटना कारित की, जिससे उसे साधारण व गंभीर उपहति कारित हुई।	आंशिक प्रमाणित साधारण प्रकृति की चोटें
2	क्या, आवेदक, अनावेदकगण से उक्त दुर्घटना के	आंशिक प्रमाणित अनावेदक

	फलस्वरूप हुई उक्त क्षति की पूर्ति राशि प्राप्त करने का अधिकारी है। यदि हां तो किससे और कितनी ?	क्रं0-03 क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी
3	क्या, अनावेदक क्रमांक 01 व 02 के द्वारा दुर्घटनाकारी उक्त कार की बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन किया गया है। यदि हां तो प्रभाव ?	अप्रमाणित
4	अन्य सहायता एवं प्रकरण व्यय ?	अधिनिर्णय कण्डिका 21 के अनुसार

### —::— निष्कर्ष के आधार —::—

#### वादप्रश्न क्रमांक 1 का विश्लेषण व निराकरण

7. उक्त वादप्रश्न का प्रमाण भार आवेदक पर है, इस संबंध में आवेदक की ओर से अभिलेख पर मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य पेश की गई है, जिसमें आवेदक भारतसिंह स्वयं ने आ0सा0-01 के रूप में अपने अभिसाक्ष्य में मूलतः यह बताया है, कि वह विद्यार्थी है, दिनांक 08/03/14 को वह हरीसिंह गुर्जर की मोटरसाइकिल क्रं0- एम0पी0-07-एम0जी0-6874 पर पीछे बैठकर पारसेन से हरीराम की कुईया मालनपुर की ओर जा रहा था, तभी भिण्ड की तरफ से एक मारुती स्विफ्ट कार क्रमांक एम0पी0-06-सी0ए0-4020 के चालक ने उसे तेजी व लापरवाही से वाहनल चलाकर मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी थी, जिससे वह गिर पड़ा था और उसे चोटें आई थीं, हरीसिंह भी साथ में था, उसे भी चोटें आई थीं, जिसकी रिपोर्ट की गई थी, जिसका अनावेदक क्रं0-01 के विरुद्ध जे0एम0एफ0सी0 गोहद के न्यायालय में मामला संचालित है और अनावेदक क्रं0-02 ने वाहन सुपुर्दगी पर लिया है, गोहद अस्पताल में डॉ0 राजेन्द्र तरेटिया द्वारा उसका इलाज किया गया था, उसके बाद ग्वालियर में इलाज हुआ, इलाज में व अन्य शारीरिक व मानसिक क्षति के कारण वह अनावेदकगण से 14,70,000/-रुपये एवं दुर्घटना दिनांक से 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पाने का पात्र है, जो उसे दिलाई जावे।

8. आवेदक भारत सिंह आ0सा0-01 ने प्र0पी0-01 लगायत प्र0पी0-15 के दस्तावेज पेश करते हुए पैरा-04 में यह भी कहा है, कि जिस मोटरसाइकिल को वह चला रहा था, वह उसके भाई रामलखन के नाम से पंजीकृत है और यह स्वीकार किया है, कि मोटरसाइकिल चलाने का उसके पास कोई लाइसेंस नहीं था, न वर्तमान में है, कार वाले द्वारा पीछे से टक्कर मारना उसने बताया है, तथा यह भी स्वीकार किया है, कि जिस मोटरसाइकिल को वह चला रहा था, वह बीमित नहीं थी, लेकिन इस बात से इन्कार किया है,



कि वह स्वयं गिरा था और झूठा क्लैम पाने के लिए एफ0आई0आर0 बीमित कार की लिखा दी। साक्षी ने पैरा705 में यह भी स्पष्ट किया है, कि जिस कार से दुर्घटना हुई थी, उसके पीछे लिखा नंबर उसने देखकर याद कर लिया था, कार वाला दुर्घटना के बाद मौके से भाग गया था, उसे वह नहीं देख पाया था।

9. निरंजनसिंह आ0सा0-02 जो आवेदक का पिता है, उसने आवेदक के अभिसाक्ष्य का समर्थन करते हुए यह बताया है, कि दुर्घटना के समय वह अपने घर पर था और उसके लडके भारत ने फोन से उसे दुर्घटना की सूचना दी थी, फिर वह थाना मालनपुर पहुंचा था, जहां भारत ने उसके सामने रिपोर्ट लिखाई थी, पुलिस ने रिपोर्ट वाले दिन ही कार को रिटोरा में पकड़ लिया था, जो सफेद रंग की थी, जिसे उसने थाने पर देखा था, उक्त साक्षी ने भी यह स्वीकार किया है, कि मोटरसाइकिल उसके लडके रामलखन के नाम से है तथा भारत या रामलखन के पास मोटरसाइकिल चलाने का कोई लाइसेंस नहीं है, बीमा का उसे पता नहीं है।
10. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्कों में मूलतः यह कहा है, कि आवेदक के मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य का कोई खण्डन नहीं है, जिससे उक्त वादप्रश्न प्रमाणित है और आपराधिक प्रकरण विचाराधीन होना स्वीकार भी किया है, इसलिए वादप्रश्न उनके पक्ष में निर्णित किया जावे, जबकि अनावेदक क्रं0-01 व 02 और अनावेदक क्रं0-03 के अधिवक्ताओं ने एक जैसे तर्क करते हुए यह कहा है, कि कोई दुर्घटना मारुती स्विफ्ट कार क्रमांक एम0पी0-06-सी0ए0-4020 से दिनांक 08/03/14 को घटित नहीं हुई है और पुलिस ने मिलकर क्लैम पाने के लिए आवेदक द्वारा झूठी रिपोर्ट लिखाई गई है, जबकि आवेदक पर स्वयं ही मोटरसाइकिल चलाने का कोई लाइसेंस नहीं है और वह राजमार्ग पर मोटरसाइकिल चला रहा था, जो स्वतः गिर पड़ा होगा। हरीसिंह गुर्जर जिसके द्वारा रिपोर्ट लिखाना बताया गया है और उसे भी आहत बताया गया है, उसका आवेदक ने कथन नहीं कराया है, तथा स्थाई निशक्ता या गंभीर उपहति का कोई चिकित्सकीय प्रमाण पेश नहीं किया है, न ही किसी चिकित्सक का कथन कराया गया है, इसलिए उक्त वादप्रश्न प्रमाणित नहीं होता है और आवेदक के विरुद्ध निर्णित किया जाए।
11. सर्वप्रथम दुर्घटना के बिन्दु को देखा जाए तो अभिलेख पर आवेदक की ओर से स्वयं का अभिसाक्ष्य दिया गया है और अनुश्रुत साक्षी के रूप में उसने अपने पिता का कथन कराया है, मौखिक साक्ष्य का इस बिन्दु पर कोई प्रतिपरीक्षा में नहीं हुआ है, कि दुर्घटना घटित नहीं हुई। अनावेदकगण की ओर से इस बावत कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई है, कि किस प्रकार से दुर्घटना के बारे में झूठी रिपोर्ट लिखाई गई, जबकि अभिलेख पर आवेदक ने थाना मालनपुर में दर्ज हुए अपराध क्रमांक 59/14 की एफ0आई0आर0

नक्श मौका, कार की जब्ती, एम0एल0सी0 रिपोर्ट, सुपुर्दगीनामा और अभियोगपत्र की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्र0पी0-01 लगायत प्र0पी0-06 के रूप में पेश की गई है, दुर्घटना के संबंध में प्रकरण विचाराधीन होना अनावेदकगण ने स्वीकार भी किया है, प्र0पी0-01 के मुताबिक दिनांक 08/03/14 को दिन के 10:00 बजे भिण्ड ग्वालियर राजमार्ग पर हरीराम की कुईया मालनपुर के पास रोड पर दुर्घटना मारुती स्विफ्ट सफेद रंग की कार क्रमांक एम0पी0-06-सी0ए0-4020 के चालक द्वारा की जाना बताई गई है, आवेदक ने मालनपुर की दिशा में मोटरसाइकिल से जाना बताया है, जैसा एफ0आई0आर0 में भी अंकित है और पीछे से कार चालक द्वारा टक्कर मारना बताया गया है, जिसका खण्डन नहीं हुआ है, तथा दुर्घटना के तत्पश्चात रिपोर्ट आधा घंटे बाद ही उक्त कार का रजिस्ट्रेशन नंबर बताते हुए दर्ज कराई गई है, इसलिए अभिलेख पर ऐसी परिस्थितियां नहीं हैं, जो यह इंगित करती हों कि आवेदक स्वतः मोटरसाइकिल से गिर पड़ा हो, मारुती कार के बीमित होने की जानकारी लेते हुए एफ0आई0आर0 की गई हो, क्योंकि बिना बिलंब के रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, प्र0पी0-02 के नक्शा मौका और आवेदक के कथन मुताबिक दुर्घटना पीछे से टक्कर मार की जाना परिलक्षित होता है, मारुती कार का भी भिण्ड की ओर से आना बताया गया है और आवेदक भी उसी दिशा में मालनपुर की ओर जा रहा था, ऐसे में मारुती स्विफ्ट कार क्रमांक एम0पी0-06-सी0ए0-4020 के चालक की उपेक्षा या उतावलेपन के कारण दुर्घटना घटित होना पाया जाता है। प्र0पी0-03 जब्तीपत्रक मुताबिक उक्त मारुती कार मय रजिस्ट्रेशन, बीमापत्र और चालक अनावेदक क्रमांक 01 के नाम के ड्राइविंग लाइसेंस की छायाप्रतियों सहित दुर्घटना के दो दिन बाद दिनांक 10/03/14 को अनावेदक क्रं0-01 से जब्त किया जाना बताया गया है, जिसका भी कोई खण्डन नहीं है, जिससे अनावेदक क्रं0-01 दुर्घटनाकारी वाहन का चालक होना और दुर्घटनाकारी कार बीमित होना भी प्रमाणित होती है, बीमित होने का तथ्य भी स्वीकृत है, अनावेदक क्रं0-02 उसका पंजीकृत स्वामी होना प्र0पी0-05 के सुपुर्दगीनामे के आधार पर भी स्पष्ट होता है और अभिलेख पर ऐसी कोई साक्ष्य अनावेदकगण में से किसी की ओर से पेश नहीं की गई है, कि अनावेदक क्रं0-01 वाहन चालक नहीं था, बल्कि प्र0पी0-06 के अभियोगपत्र की पेश की गई प्रमाणित प्रतिलिपि से अनावेदक क्रं0-01 के विरुद्ध ही दुर्घटना संबंधी आपराधिक प्रकरण विचाराधीन होना परिलक्षित होता है।

12. इस प्रकार से यह तो प्रमाणित है, कि दिनांक 08/03/14 को जब आवेदक भारतसिंह मोटरसाइकिल क्रं0-एम0पी0-07-एम0जी0-6874 से मालनपुर तरफ भिण्ड ग्वालियर रोड से जा रहा था, जिसके साथ हरीसिंह गुर्जर भी था, तब मारुती स्विफ्ट कार क्रमांक एम0पी0-06-सी0ए0-4020 के चालक अनावेदक क्रं0-01 के द्वारा पीछे से टक्कर मारकर दुर्घटना कारित

की गई थी, अब यह देखना होगा कि क्या, आवेदक को क्षतियां पहुंची और पहुंची तो उनकी प्रकृति क्या थी।

13. इस संबंध में अभिलेख पर जो मौखिक साक्ष्य पेश की गई है, उसमें आवेदक भारतसिंह ने अपने अभिसाक्ष्य में टक्कर लगने पर गिरना और चोटिल होना तथा गोहद व ग्वालियर में उपचार होना तो बताया है, किंतु चोट उसे शरीर में कहां-कहां लगी यह उसने मुख्य परीक्षण में या प्रतिपरीक्षण में नहीं बताया है, उसके पिता निरंजनसिंह आ0सा0-02 ने अवश्य अपने अभिसाक्ष्य में प्रतिपरीक्षण के पैरा-03 में दो तीन महीने भारत का भर्ती रहना और उसके पैर में सरिया पड़ा होना अवश्य कहा है, किंतु इस बिन्दु पर दस्तावेजी प्रमाण में प्र0पी0-04 की एम0एल0सी0 रिपोर्ट ही पेश की गई है, जिसमें आवेदक भारतसिंह के दाहिने पैर, दाहिने हाथ की कोहनी और कमर एवं कूल्हे में खरोंच व फटे घाव की चोटें बताई गई हैं और दाएं पैर की चोट के लिए एक्सरे की सलाह देने का उल्लेख किया गया है, उसके बाद ही उसकी प्रकृति बताई जाने का अभिमत दिया है, शेष चोटें साधारण बताई गई हैं, दाहिने पैर के किसी अंग की एक्सरे परीक्षण रिपोर्ट अभिलेख पर पेश नहीं की गई हैं, न ही आवेदक की ओर से किसी चिकित्सक का कथन कराया गया है, जो आवेदक को दुर्घटना में प्राप्त की गई चोटों के बारे में चिकित्सकीय अभिमत उसकी गंभीरता के बिन्दु पर या निश्चयता के बिन्दु पर दे सकता है। प्र0पी0-08 लगायत प्र0पी0-15 के रूप में जो दस्तावेज पेश किए गए हैं, उनसे भी चोटों की प्रकृति बावत कोई निष्कर्ष प्राप्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि प्र0पी0-08 बाह्य रोगी उपचार पत्रक जिला चिकित्सालय मुरार ग्वालियर का है, जे0ए0एच0 हास्पिटल ग्वालियर का प्रवेशपत्र प्र0पी0-07 के रूप में पेश किया है, जिसमें ट्रॉमा सेन्टर का उल्लेख है, जिसके मुताबिक 08/03/14 को शाम के समय ट्रॉमा सेन्टर में आवेदक को भर्ती किया गया था, किंतु वह कब तक उपचाररत रहा क्या उपचार हुआ, इससे संबंधित कोई डिस्चार्ज टिकट पेश नहीं किया गया है, क्या-क्या उपचार हुआ इस बाबत भी दस्तावेज पेश नहीं किया है, प्र0पी0-14 के रूप में उपचार संबंधी चिकित्सक का पर्चा (Prescription) पेश किया उसमें भारत के नाम का उल्लेख तो है, लेकिन उम्र 17 वर्ष लिखी हुई है, जबकि आवेदक एफ0आई0आर0 मुताबिक ही 18 वर्ष का था और प्र0पी0-04 की एम0एल0सी0 में भी उसकी उम्र 18 वर्ष लिखी है, जिसमें उसकी बल्दियत भी है, जबकि प्र0पी0-14 में न तो बल्दियत है, ना ही चिकित्सक का नाम, पद है, उसमें दाहिने पैर की ऐडी (Anckel) में अस्थिभंजन का चिन्ह अवश्य लिखा है, किंतु प्र0पी0-14 में रोगी की कोई पहचान चिन्ह अंकित नहीं है, इसलिए वह आवेदक का ही है, या नहीं यह निश्चित नहीं किया जा सकता है।

14. आवेदक के पिता निरंजन आ0सा0-02 ने दो तीन महीने भर्ती रहना तो कहा है, किंतु उसकी न तो समय अवधि बताई

गई है, न दस्तावेज पेश किया है। पैर में सरिया पड़ा होना भी कहा है, कौन से पैर में सरिया डला था, कहां ऑपरेशन हुआ, उससे संबंधित चिकित्सकीय दस्तावेज का सर्वथा अभाव है, इसलिए आवेदक को कोई स्थाई या अस्थायी निशक्ता शरीर के किसी भाग में आई हो, ऐसा कतई प्रमाणित नहीं होता है और प्र0पी0-06 का अभियोगपत्र जिसमें धारा-338 भा0द0वि0 का इजाफा किया गया था, उसमें स्थिति स्पष्ट नहीं है, कि चोट के आधार पर इजाफा हुआ, क्योंकि क्षतिपूर्ति के परिपेक्ष्य में चोट शरीर के किस भाग पर आई उसका आवेदक की दिनचर्या पर और भविष्य में जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, यह चोट स्पष्ट हुए बगैर निश्चित नहीं किया जा सकता है, तथा स्थाई या अस्थायी निशक्ता का कोई दस्तावेजी प्रमाण भी पेश नहीं किया गया है, जिससे मूल आवेदनपत्र में किए गए अभिवचनों की पुष्टि होती हो और स्वयं आवेदक ने पैरा-07 में यह स्वीकार किया है, कि वह दुर्घटना के समय भी पढ़ता था, वर्तमान में भी पढ़ रहा है, तथा उसने स्वतः में यह तक कहा है, कि वह अपने पिता के साथ वर्तमान में खेती में भी सहयोग करता है, इससे भी स्पष्ट होता है, कि आवेदक को दुर्घटना में आई चोटों के कारण उसके विद्या अध्ययन करने में या पिता के साथ अजीविका में सहयोग करने में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं हुई है। ऐसे में आवेदक को उक्त दुर्घटना के फलस्वरूप साधारण चोटें आने की पुष्टि उपलब्ध सामग्री के आधार पर होती है। अतः वादप्रश्न क्रमांक-01 को आवेदक के पक्ष में आंशिक प्रमाणित निर्णित कर यह निष्कर्ष दिया जाता है, कि आवेदक को उक्त दुर्घटना में साधारण प्रकृति की चोटें आई।

### वादप्रश्न क्रमांक-02 का विश्लेषण एवं निराकरण

15. उक्त वादप्रश्न का प्रमाण भार भी आवेदक पर ही है, आवेदक ने अभिवचनों में व मौखिक साक्ष्य में 14,70,000/-रुपये की क्षतिपूर्ति की मांग की है, किंतु उसके संबंध में कोई विवरण नहीं दिया है, कि किस प्रकार उक्त धनराशि वह प्राप्त करने का पात्र है, जैसा कि भारत सिंह आ0सा0-01 ने अपने पैरा-07 में स्वीकार किया है, कि उसने जो इलाज का खर्चा बताया है, उसका कोई विवरण उसके पास नहीं है, हालांकि वह इलाज व दवाईयों के पर्चे, बिल और एस्टीमेट झूठे तैयार कराने से मना करता है, उसके पिता निरंजन आ0सा0-02 ने पैरा-03 में इलाज में 70,000/-रुपये खर्च होना बताए है, किंतु जो दस्तावेजी साक्ष्य दी है, उसमें उक्त धनराशि व्यय होने का समाधान नहीं होता है, क्योंकि प्र0पी0-08 बाह्य रोगी उपचार पत्रक मुताबिक 5/-रुपये सरकारी अस्पताल में पर्चा बनवाने के लिए लगे, जे0ए0एच0 हॉस्पिटल ग्वालियर ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करने के लिए कोई राशि व्यय नहीं हुई, इसके अलावा प्र0पी0-09 एस्टीमेट के रूप में है जिसमें आवेदक का नाम अंकित है, जो 577/-रुपये की दवाईयों का है, प्र0पी0-10 लगायत प्र0पी0-12 में



आवेदक के नाम का कोई उल्लेख नहीं है, इसलिए वह आवेदक से संबंधित है या नहीं यह स्पष्ट नहीं होता है, तथा उनमें जिन दवाईयों का उल्लेख है वे दवाईयां किस चिकित्सक द्वारा लिखी गई थीं यह भी अंकित नहीं है, इसलिए प्र0पी0-10 लगायत प्र0पी0-12 की राशि आवेदक प्राप्त करने का पात्र नहीं है, प्र0पी0-13 में अवश्य आवेदक का नाम अंकित है, और वह दुर्घटना दिनांक 08/03/14 का ही है, जिसमें केवल दवाईयों का विवरण है, बिल या केशमेमो नहीं है, प्र0पी0-14 भी दवाईयों का पर्चा है, प्र0पी0-15 499/-रूपये का केशमेमो है, किंतु उसमें भी आवेदक के नाम का कोई उल्लेख नहीं है, जो दिनांक 13/03/14 का है, तथा ना ही उसमें चिकित्सक के नाम का उल्लेख है, ऐसे में केवल प्र0पी0-08 और प्र0पी0-09 की राशि ही आवेदक से संबंधित होना दर्शित होती है, जो दिलाई जा सकती है, अन्य दस्तावेज आवेदक से संबंधित होने के बारे में ही संदेह की स्थिति है।

16. अभिलेख पर प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से आवेदक का दुर्घटना दिनांक से 24/05/14 तक तो उपचाररत होना परिलक्षित होता है, हालांकि इस दौरान कितनी अवधि तक वह भर्ती रहा यह स्थिति अवश्य स्पष्ट नहीं है, आवेदक ग्रामीण परिवेश से है और उसके द्वारा उपचार संबंधी सभी प्रमाण पेश नहीं किए गए हैं, किंतु इस अवधि में उसे निश्चित तौर पर कुछ न कुछ शारीरिक पीडा और मानसिक वेदना अवश्य सहन करनी पड़ी होगी, कुछ न कुछ राशि भी अवश्य वहन करनी पड़ी होगी, तथा विशेष आहार भी लेना पडा होगा, हालांकि उसकी कार्यकुशलता और जीवनचर्या पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पडने की सुदृढ साक्ष्य नहीं है, किंतु इन सभी आधारों पर आवेदक को एकमुश्त धनराशि 10,000/-रूपये दिलाया जाना उचित व आवश्यक पया जाता है।

17. जहां तक यह प्रश्न उठता है, कि प्रश्न उठता है, कि उक्त राशि किससे दिलाई जाए इस बिन्दु पर आवेदक अधिवक्ता ने तो अनावेदकगण से संयुक्ततः या पृथकतः क्षतिपूर्ति दिलाए जाने का निवेदन किया है, जबकि अनावेदक कं0-01 व 02 ने वाहन अनावेदक कं0-03 के यहां बीमित होने से बीमा कंपनी से ही क्षतिपूर्ति की पत्रता होने का तर्क किया है, जबकि अनावेदक कं0-03 बीमा कंपनी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता ने आवेदक के पास मोटरसाइकिल चलाने का वैध व प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस न होने से योगदायी उपेक्षा के आधार पर क्षतिपूर्ति दिलाए जाने का तर्क दिया है।

18. इस बिन्दु पर वैधानिक स्थिति देखी जाए तो जहां तक योगदायी उपेक्षा का प्रश्न है, अभिलेख पर आवेदक की ओर से इस आशक की स्पष्ट स्वीकारोक्ति अवश्य आई है, कि उसके पास मोटरसाइकिल चलाने का कोई लाइसेंस दुर्घटना दिनांक को भी नहीं

था, न वर्तमान में है, किंतु केवल इस आधार पर दुर्घटना कारित होने में आवेदक की योगदायी उपेक्षा नहीं मानी जा सकती है, क्योंकि जो दुर्घटना बताई गई है, उसमें कार चालक द्वारा पीछे से टक्कर मारना बताया गया है, इसलिए आवेदक पर वैध या प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस दुपहिया वाहन चलाने संबंधी न होने से आवेदक को योगदायी उपेक्षा का दोषी नहीं माना जा सकता है, इस संबंध में न्याय दृष्टांत **सधीर कुमार राणा विरुद्ध सरेन्द्र सिंह ए0आई0आर0 2008 सुप्रीमकोर्ट पैज-2405** में दिया गया मार्गदर्शन अवलोकनीय है। ऐसी स्थिति में अनावेदक क्रं0-03 के विद्वान अधिवक्ता का योगदायी उपेक्षा संबंधी तर्क उक्त स्थिति में स्वीकार योग्य नहीं है, और दुर्घटनाकारी कार निर्विवादित रूप से अनावेदक क्रं0-03 बीमा कंपनी के यहां बीमित थी, इसलिए क्षतिपूर्ति का प्राथमिक उत्तरदायित्व बीमा कंपनी का ही होगा। जहां तक प्रकरण में पीलियन राइडर का बिन्दु उठाया गया है कि आवेदक एफ0आई0आर0 मुताबिक मोटरसाइकिल पर पीछे बैठा था, इसलिए उसकी स्थिति पीलियन राइडर की है, और मोटरसाइकिल का बीमा नहीं था, इसलिए बीमा कंपनी उत्तरदायी नहीं है, यह भी इसलिए स्वीकार योग्य नहीं है, क्योंकि आवेदक ने स्वयं बीमा कंपनी की ओर से की गई प्रतिपरीक्षा में आवेदक के पीलियन राइडर (ऐसा व्यक्ति जो वाहन में अनुग्रह यात्री के रूप में यात्रा करता हो, जिसका कोई प्रीमियम नहीं दिया जाता) होने संबंधी कोई सुझाव नहीं दिया गया है, न ही अपनी ओर से मोटरसाइकिल से संबंधित कोई दस्तावेज पेश किया है, इसलिए प्रकरण में पीलियन राइडर का बिन्दु उत्पन्न नहीं माना जा सकता है और आवेदक की स्थिति तृतीय पक्ष की हो जाती है, इसलिए उसे क्षतिपूर्ति के लिए बीमा कंपनी को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, जैसा कि न्याय दृष्टांत **समुद्र देवी विरुद्ध नरेन्द्र कौर ए 0आई0आर0 2008 सुप्रीम कोर्ट पैज73205** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मार्गदर्शित किया गया है।

19. प्रकरण में दुर्घटनाकारी वाहन मारुती स्विफ्ट कार क्रमांक एम0पी0-06-सी0ए0-4020 दुर्घटना दिनांक को अनावेदक क्रं0-03 बीमा कंपनी के यहां वैध रूप से बीमित थी, कार चालक पर वैध व प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस भी होना प्र0पी0-03 के आधार पर पाया गया है, ऐसी स्थिति में आवेदक को प्रदान की जाने वाली क्षतिपूर्ति राशि को वहन करने के लिए अनावेदक क्रं0-03 बीमा कंपनी को ही उत्तरदायी ठहराया जाएगा। अतः वादप्रश्न क्रमांक-02 आंशिक रूप से आवेदक के पक्ष में निर्णित करते हुए यह निष्कर्षित किया जाता है, कि आवेदक दुर्घटना में प्राप्त चोटों की क्षतिपूर्ति के लिए एकमुश्त 10,000/-रुपये की राशि अनावेदक क्रमांक-03 बीमा कंपनी से प्राप्त करने का अधिकारी है।

**वाद प्रश्न क्रमांक-03 का विश्लेषण एवं निराकरण**

20. उक्त वादप्रश्न का प्रमाण भार अनावेदक क्रं0-03 बीमा कंपनी पर था, किंतु अनावेदक क्रं0-03 बीमा कंपनी की ओर से कोई साक्ष्य ही पेश नहीं की गई है, न ही बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन किस प्रकार से हुआ है यह बताया गया है, जबकि दुर्घटनाकारी कार अनावेदक क्रं0-03 के यहां दुर्घटना दिनांक को वैध रूप से बीमित होना, उसका पंजीयन अनावेदक क्रं0-02 के नाम से होना, चालक अनावेदक क्रं0-01 पर वैध व प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस होना बताया गया है, जो अभियोगपत्र पुलिस द्वारा पेश किया गया है, उसमें भी मोटरयान अधिनियम का उल्लंघन नहीं बताया गया है। इसलिए वादप्रश्न क्रमांक-03 प्रमाणित नहीं होता है, फलतः वादप्रश्न क्रमांक-03 अप्रमाणित निर्णित किया जाता है, जिसका कोई भी प्रभाव आवेदक पर नहीं होगा।

#### वादप्रश्न क्रमांक- 4, अन्य सहायता एवं प्रकरण व्यय

21. उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर आवेदक अनावेदक क्रं0-03 बीमा कंपनी से दुर्घटना के फलस्वरूप प्राप्त हुई चोटों की क्षतिपूर्ति के लिए 10,000/-रुपये क्षतिपूर्ति राशि पाने का पात्र माना गया है, इसलिए आवेदक का आवेदनपत्र आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए आवेदक के पक्ष में और अनावेदक क्रं0-03 के विरुद्ध निम्न आशय का अधिनिर्णय पारित किया जाता है।

#### —::— अधिनिर्णय —::—

- अ. अनावेदक क्रं0-03 बीमा कंपनी आवेदक भारत सिंह गुर्जर को क्षतिपूर्ति राशि 10,000/-रुपये एवं उस पर दुर्घटना दिनांक 08/03/14 से पूर्ण अदायगी तक 6 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज सहित प्रदान करे, अन्यथा आवेदक विधिक कार्यवाही उसे वसूलने का अधिकारी होगा।
- ब. अनावेदक क्रं-03 बीमा कंपनी अपने प्रकरण व्यय के साथ-साथ आवेदक का प्रकरण व्यय भी वहन करेगी, जिसमें अभिभाषक शुल्क नियमानुसार प्रमाणित होने पर या तालिका मुताबिक जो भी कम हो उसे जोड़ा जावे।

तदनुसार अधिनिर्णय तैयार हो।

दिनांक: **04 नवंबर 2016**

अधिनिर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर मेरे बोलने पर टंकित किया गया  
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

(पी.सी. आर्य)

सदस्य द्वितीय मोटरयान दावा  
दुर्घटना अधिकरण, गोहद  
जिला भिण्ड

(पी.सी. आर्य)

सदस्य द्वितीय मोटरयान दावा  
दुर्घटना अधिकरण, गोहद  
जिला भिण्ड